कार्यालय प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, रायपुर

क्रमांक 1981/प्र.अ./लो.स्वा.यां./ रायपुर, दिनांक 28 मार्च, 2006

प्रति,

समस्त कार्यपालन अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खंड
—————— छत्तीसढ़ ।

विषय :— हैण्डपंप प्लेटफार्म निर्माण के संबंध में ।

——0——

नलकूप खनन करने वाली एजेन्सी को हैण्डपंप लगाने के अतिरिक्त प्लेटफार्म निर्माण का कार्य दिया जाता है, परंतु यह देखने में आया है कि प्लेटफार्म की गुणवत्ता मानक स्तर की नहीं होती है, इससे जहां पेयजल के प्रदूषण का खतरा बढ़ जाता है, वहीं स्तरहीन प्लेटफार्म बनने से विभाग की छबि खराब होती है । अतः निर्देशित किया जाता है कि ——

1— प्रत्येक निर्माण एजेन्सी/ठेकेदार व्दारा कार्यादेश के अनुरूप बनाए जाने वाले प्लेटफार्म में से प्रथम प्लेटफार्म संबंधित सहायक अभियंता अपने समक्ष उपस्थित रहकर बनायेंगे तथा यह सुनिश्चित करेंगे कि प्लेटफार्म की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुसार रहे । प्रभारी सहायक अभियंता यह प्रमाणित करेंगे कि प्लेटफार्म उनके समक्ष निर्मित किया गया है ।

2— प्रायः यह देखा गया है कि प्लेटफार्म के साथ निर्मित होने वाली नाली की लम्बाई 3 मीटर बनाकर छोड़ दी जाती है तथा इस बात का ध्यान नहीं रखा जाता कि पानी की निकासी ठीक तरह से हो रही है या नहीं । भविष्य में यह सुनिश्चित किया जावे कि प्लेटफार्म के साथ निर्मित किए जाने वाली नालियों की लम्बाई इतनी हो कि हैंण्पंप के आसपास अथवा गलियों में पानी का जमाव न हो । यथासंभव ये नालियां, अन्य निर्मित नालियों से मिलाई जावें अथवा प्राकृतिक ढलान के अनुसार अतिरिक्त जल को दूर तक सुरक्षित निकासी हो । तदनुसार प्राक्कलन में प्रावधान किया जावे ।

3— ऐसे हैंण्डपंप जो मुख्य मार्गों में स्थापित हैं तथा जिनके प्लेटफार्म टूट-फूट गए हैं अथवा जिन्हें पुनर्निर्मित किया जाना आवश्यक हो, उनकी सूची तथा प्राक्कलन सहित प्रस्ताव सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत किए जावें । इनमें स्थानीय आवश्यकतानुसार पर्याप्त लम्बाई के नालियों का प्रावधान रखा जावे ।